बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>आदेश</u>

आ०सं०–2 / अ0प्र0–1–13 / 2016 1822 / पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री श्रीकान्त प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा से जुलाई 2015 एवं अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1460 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 31.05.2016 में उल्लेख किया गया कि जुलाई, 2015 का मासिक लेखा दिनांक–07.08.2015 को महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया जो वहाँ दिनांक–13.08.2015 को प्राप्त हुआ तथा अगस्त, 2015 का मासिक लेखा कार्यालय का पत्रांक–264 अनु0 दिनांक–11.09.2015 द्वारा महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया गया।

3. श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री श्रीकान्त प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

3.12.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2 / अ0प्र0–1–13 / 2016 1822 / पटना, दिनांक :– 3.12.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा / प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग / विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग / श्री श्रीकान्त प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.20

उप सचिव